



भारतीय रिजर्व बैंक  
सूचना प्रोद्योगिकी विभाग  
नागपुर

बेटी बचाओ  
बेटी पढ़ाओ

बोली पूर्व बैठक के कार्यवृत्त - भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और बाह्य उपकरणों का व्यापक वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (सीएएमसी) और सुविधा प्रबंधन सेवा (एफएमएस)

निविदा संख्या: आरबीआई/नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय/अन्य/5/25-26/ईटी/722|कम्प्यूटर हार्डवेअर के लिए एएमसी और एफएमएस|

निविदा की अनुसूची के अनुसार 13 जनवरी 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में बोली पूर्व बैठक आयोजित की गई। भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित कर्मचारी सदस्य और संभावित बोलीदाताओं के प्रतिनिधि बोली-पूर्व बैठक के दौरान उपस्थित थे:

क्रमांक	भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी
1	श्रीमती दीक्षा शिंदे, प्रबंधक
2	श्री जावेद पटेल, सहायक प्रबंधक

क्रमांक	भावी बोलीदाता का नाम	प्रतिनिधि का नाम
1	विदर्भ इंफोटेक प्रा. लि.	श्री सुहास सुरकर
		श्री शोएब शेख
2	डीसीसी इन्फोटेक प्रा. लि.	श्री सुदन्यत खंडारे
3	डायनाकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड	श्री चेतन वाठ
		श्री तेहरिम अख्तर
4	वीसर्व इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	श्री शाहवार खान
		श्री नीलेश करोले
5	कैज़ेन आईटी सर्विसेस प्रा. लि.	श्री प्रशांत मधवे
		श्री संघशील सोमकुवार
6	यूनिसर्किट इंजीनियरिंग सर्विसेस	श्री प्रथमेश नागरे
		श्री पंकज उपाध्याय
7	एक्सेल आईटी सर्विसेस	श्री अशोक भिंगे

निविदा-पूर्व बैठक के दौरान निम्नलिखित प्रश्न/मुद्दे उठाए गए/चर्चा की गई। इनमें से प्रत्येक प्रश्न/मुद्दे के संबंध में बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण निम्नानुसार हैं:

क्रमांक	प्रतिभागी के प्रश्न	बैंक का स्पष्टीकरण
1	क्या एमएसएमई और एसएमई के लिए ईएमडी को छूट दी गई है?	नहीं, उल्लिखित निविदा के लिए एमएसएमई और एसएमई के लिए ईएमडी से छूट नहीं दी गई है।
2	धारा ॥ (निविदा का प्रपत्र) के पैरा 5 के संदर्भ में, क्या मुख्तारनामा की प्रमाणित प्रति स्टाम्प पेपर पर जमा की जानी चाहिए या कंपनी के लेटरहेड पर?	मुख्तारनामा की प्रमाणित प्रति स्टाम्प पेपर पर जमा की जानी चाहिए।
3	निविदा की धारा 7 - 'कार्यों का विस्तृत दायरा', पैरा 7 के अनुसार, विक्रेता सीएएमसी के तहत सभी आईटी परिसंपत्तियों के किसी भी घिसे-पिटे या दोषपूर्ण भाग/घटक को बैंक को किसी अतिरिक्त लागत बिना प्रतिस्थापित करेगा। (i) क्या विक्रेता द्वारा प्रतिस्थापन के बाद दोषपूर्ण हिस्से को अपने पास रखा जा सकता है? (ii) यदि सिस्टम ओ. ई. एम. द्वारा सेवा से बाहर है और बाजार में पुर्जे उपलब्ध नहीं हैं तो क्या होगा?	(i) हाँ। बैंक से पुष्टि प्राप्त होने के बाद, विक्रेता हार्ड ड्राइव को छोड़कर, उचित प्रतिस्थापन के बाद दोषपूर्ण भागों को अपने पास रख सकता है। (ii) ऐसी प्रणाली के लिए विक्रेता को ओईएम से पावती/पुष्टि प्रस्तुत करना आवश्यक है कि वे सेवा से बाहर हैं। विक्रेता से पुष्टि प्राप्त होने पर, यदि मरम्मत योग्य नहीं है, तो बैंक ऐसी प्रणालियों को बदल देगा।
4	निविदा के धारा 7 - 'विस्तृत कार्यक्षेत्र', पैरा 10 के अनुसार, बोलीकर्ता अपने स्वयं के खर्च पर डेस्कटॉप पीसी/लैपटॉप के लिए मानक डेटा मिटाने वाले सॉफ्टवेयर की खरीद करेगा, और यह वैशिक डेटा मिटाने/मिटाने के मानक के अनुरूप होना चाहिए और डेटा मिटाने को सत्यापित करने के लिए मिटाने का प्रमाण पत्र उत्पन्न करना चाहिए। (i) क्या अनुबंध में प्रवेश करते समय सभी प्रणालियों के लिए डेटा इरेज़र सॉफ्टवेयर खरीदा जाना है?	(i) डेटा मिटाने वाले सॉफ्टवेयर की आवश्यकता तब होती है जब सिस्टम को बदल दिया जाता है और उसका निपटान करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, जब भी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता एमसी के तहत कुछ या सभी सिस्टम के लिए होगी, बैंक विक्रेता को सूचित करेगा। (ii) सॉफ्टवेयर के एकल या एकाधिक लाइसेंस का उपयोग किया जा सकता है बशर्ते कि लाइसेंस प्राप्त संस्करण एमसी के तहत कुछ या सभी प्रणालियों पर चलाया जाना चाहिए।

	(ii) क्या एक एकल लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर जिसे कई प्रणालियों पर चलाया जा सकता है, खरीदा जा सकता है?	
5	क्या आरबीआई द्वारा बोली लगाने वाले को न्यूनतम मजदूरी में संशोधन का भुगतान किया जाएगा?	बैंक न्यूनतम मजदूरी में संशोधन के लिए संभावित विक्रेता को मुआवजा देगा। संभावित विक्रेता को तिमाही बिल के साथ निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार वेतन के भुगतान का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
6	(i) क्या ग्राहक के सीलबंद लिफाफे में ग्राहक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है? (ii) क्या ग्राहक प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति भाग-। दस्तावेजों के हिस्से के रूप में एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता है।	ग्राहक प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति भाग । दस्तावेजों के रूप में अपलोड की जा सकती है या सीलबंद लिफाफे में जमा की जा सकती है। प्रमाणपत्र ग्राहक के लेटरहेड पर होना चाहिए।
7	निविदा के खंड V के पैरा 13 के संदर्भ में, विक्रेता को लोक दायित्व पॉलिसी और कामगार क्षतिपूर्ति बीमा जमा करना आवश्यक है। क्या दोनों नीतियों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है?	निविदा दस्तावेज में उल्लिखित सभी पॉलिसियों को भारतीय रिजर्व बैंक के नाम और विक्रेता के नाम का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
8	क्या विंडोज सर्वर 2008 से संबंधित सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता है?	भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में कोई भी प्रणाली और सर्वर विंडोज 2008 पर काम नहीं कर रहा है।
9	क्या निविदा दस्तावेज की धारा VI के बिंदु संख्या 5 में उल्लिखित प्रणालियों के डाउनटाइम के लिए दंड पर सीमा है?	निविदा दस्तावेज में उल्लिखित एकल उदाहरण के लिए सीमा उपलब्ध है। हालांकि, कई उदाहरणों पर प्रणालियों के डाउनटाइम के लिए दंड पर कोई सीमा नहीं है।
10	कार्यालय में कितने लिनक्स पीसी उपलब्ध हैं?	वर्तमान में, कार्यालय में केवल 3 लिनक्स पीसी उपलब्ध हैं। हालांकि,

		बैंक अनुबंध की अवधि के दौरान लिनक्स पीसी की संख्या बढ़ा / कम कर सकता है।
11	नागपुर में कार्यालय परिसर कितने स्थानों पर उपलब्ध हैं?	नागपुर में दो कार्यालय भवन और पांच आवासीय कॉलोनियां हैं। विक्रेता को इन सभी स्थानों पर सेवाएं प्रदान करनी होती हैं।
12	क्या उपदान (gratuity) प्रतिनियुक्त जनशक्ति पर लागू है?	चूंकि अनुबंध की अवधि एक वर्ष की होगी, इसलिए बैंक विक्रेता को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है।

कृपया ध्यान दें:	
अ	यह दस्तावेज (निविदा पूर्व बैठक का कार्यवृत्त) निविदा/करार का एक भाग होगा।
ब	निविदा दस्तावेज में उल्लिखित अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
क	उपर्युक्त स्पष्टीकरण सभी इच्छुक बोलीदाताओं की सूचना के लिए जारी किए जाते हैं।
ड	फर्म द्वारा बोली प्रस्तुत करना बोली दस्तावेज और ऊपर दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुरूप माना जाएगा।

स्थान: नागपुर

दिनांक: 19 जनवरी 2026

क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर